पत्र संख्या–सम्पत्ति/किराया अनुभाग–भ0प0–बजट आवंटन/2020–21/ 38 /वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर,उ0प्र0
(सम्पत्ति/किराया अनुभाग)
लखनऊ::दिनांक:: 17 ::जून 2020

आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर,
मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, आगरा, मैनपुरी, एटा,
बरेली, बिजनौर, शाहजहांपुर, रामपुर, इटावा, फतेहपुर,
झांसी, उरई जालौन, हमीरपुर, बॉदा, वाराणसी, जौनपुर,
बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, लखनऊ, उन्नाव,
रायबरेली, सीतापुर, अयोध्या, बहराइच, प्रतापगढ़, बाराबंकी,
ललितपुर, गाजियाबाद, मुख्यालय, प्रयागराज, मऊ, गौतमबुद्धनगर,
बलरामपुर, औरय्या, बागपत, कासगंज, कांशीरामनगर, हापुड़ एवं सम्भल।

विषयः–किराये पर चल रहे वाणिज्य कर कार्यालय भवनों का शासन/मण्डलायुक्त महोदय से किराया नवीनीकरण/किराया स्वीकृति का आदेश निर्गत किये जाने के उपरान्त ही भवन का किराया भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या–87 दिनांक 12.6.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो आपको सम्बोधित एवं सम्पत्ति/किराया अनुभाग को पृष्ठांकित है, जिसके द्वारा आपके अधीनस्थ किराये पर चल रहे वाणिज्य कर कार्यालय भवनों का किराया भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में चालू वित्तीय वर्ष 2020–2021 में बजट का आवंटन किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित जनपद में किराये पर चल रहे वाणिज्य कर कार्यालय भवनों के सम्बन्ध में यह तथ्य अवश्य परीक्षण कर लें कि, जिस भवन के सम्बन्ध में बजट का आवंटन किया गया है उस भवन का किराया नवीनीकरण/किराया स्वीकृति का आदेश शासन/मण्डलायुक्त महोदय के स्तर से निर्गत की जा चुकी है, तदुपरान्त ही प्रश्नगत भवन के भवन स्वामी को किराया भुगतान करना सुनिश्चित करें। यदि सम्बन्धित जनपद में किराये पर चल रहे वाणिज्य कर कार्यालयों का शासन/मण्डलायुक्त स्तर से किराया नवीनीकरण/किराया स्वीकृति का आदेश निर्गत नहीं किया गया है और भवन का किराया अनुबन्ध की प्रभावी तिथि समाप्त हो चुकी है और आप द्वारा सम्बन्धित भवन का किराया भुगतान भवन स्वामी को कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में वित्तीय अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

ध्यातव्य हो कि प्रश्नगत भवन का किराया भुगतान करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वित्तीय अनियमितता की स्थिति उत्पन्न न होने पाये।

(सूर्यमणि लालचंद)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः–एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या–87 दिनांक 12.6.2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।